

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र0 677 / 13

संस्थित दि: 12 / 07 / 13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राजेन्द्र गनवीर पिता सन्तलाल गनवीर, उम्र 32 साल,

जाति महार, निवासी किशनटोला कंटगी थाना बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक — 26 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 22 / 06 / 2013 को दिन के 03:00 बजे ग्राम किशनटोला (कंटगी) थानान्तर्गत बैहर में फरियादिया मनीषा भौतेकर के मकान में जो मानव निवास / सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया मनीषा की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया मनीषा ने दिनांक 22.06.2013 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.06.2013 को वह घर पर अकेली थी घर का दरवाजा बंद था। दोपहर के 03:00 बजे आरोपी राजेन्द्र आया और घर का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला आरोपी राजेन्द्र ने दरवाजा बंद करके बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से खींचतान करने लगा तो वह चिल्लाई तो आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85 / 13 अन्तर्गत धारा 354, 454 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर

आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 454 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 454 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया ने पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 22/06/2013 को दिन के 03:00 बजे ग्राम किशनटोला (कंटगी) थानान्तर्गत बैहर में फरियादिया मनीषा भौतेकर के मकान में जो मानव निवास/सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया मनीषा की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादिया मनीषा (अ.सा. 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी दिन के 03:00 बजे उसके घर ग्राम कंटगी की है। आरोपी उसके घर सब्जी मांगने आया तो उसने सब्जी निकालकर उसे दी। आरोपी राजेन्द्र ने उसका हाथ पकड़कर धक्का मारकर नीचे गिरा

दिया और उसके कपड़े बुरी नियत से खींचने लगा। वह चिल्लाई और पास में रखी लकड़ी से आरोपी के सिर पर मारा उसके बाद घटना जाकर पड़ौस की ताराबाई को बतायी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बैहर में करवाया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी और उसके कथन लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह बताया है कि आरोपी सब्जी मांगने आया था और उसे धक्का देकर गिरा था और उसके कपड़े खींचने लगा। ऐसा उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखा दिया था और ऐसा उसने अपने पुलिस कथन में भी बता दिया था।

(08) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता कान्हूराम खण्डाते (अ.सा. 4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने दिनांक 22.06.2013 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया मनीषा भौतेकर की रिपोर्ट पर आरोपी राजेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/13 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354 अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कपूरचंद बिसेन (अ.सा. 6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने दिनांक 23.06.2013 को प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया मनीषा की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। फरियादिया मनीषा साक्षी ताराबाई, देवरत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 25.06.2013 को साक्षी प्रवीण चौहान एवं सालिकराम के समक्ष आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा. 3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 22.06.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आरक्षक प्रदीप क्रमांक 1068 के द्वारा आहत मनीषा पति देवरत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाने पर उसने आहत मनीषा के चिकित्सीय परीक्षण में बांयी कलाई पर एक खरौंच एवं बांये हाथ पर एक मुंदी हुई चोट होना पायी थी। आहत की चोटे साधारण प्रकृति की थी जो किसी शख्त एवं बोथरी वस्तु से पहुचाई गई थी। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 04 से 06 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट

प्रदर्श पी-03 है।

(10) अभियोजन साक्षी देवरत (अ.सा. 2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग 08-10 माह पुरानी है। घटना दिनांक को वह बैहर गया था जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी पत्नी मनीषा ने उसे बताया कि आरोपी घर पर सब्जी मांगने आया, उसने आरोपी को सब्जी दी और आरोपी सब्जी लेकर बाहर गया, घर में कोई नहीं था तो आरोपी फिर से वापस आया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और बुरी नियत से उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा जिससे वह चिल्लाई तथा उसने आरोपी को लकड़ी से सिर में मारा और ताराबाई को घटना के संबंध में बताया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उसने जो मुख्यपरीक्षण में बताया वह पुलिस को भी बताया था।

(11) अभियोजन साक्षी ताराबाई (अ.सा. 5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी किशनटोला कटंगी की 08:30 बजे की है। उसे मनीषाबाई ने बताया कि आरोपी राजेन्द्र उसके घर सब्जी मांगने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ कर हाथ पकड़ने लगा तथा उसके चिल्लाने पर आरोपी राजेन्द्र भाग गया।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादिया मनीषा भौतेकर ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर झूठा प्रकरण तैयार किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादिया मनीषा (अ.सा. 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी दिन के 03:00 बजे उसके घर ग्राम कटंगी की है। आरोपी उसके घर सब्जी मांगने आया तो उसने सब्जी निकालकर उसे दी। आरोपी राजेन्द्र ने उसका हाथ पकड़कर धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उसके कपड़े बुरी नियत से खींचने लगा। वह चिल्लाई और पास में रखी लकड़ी से आरोपी के सिर पर मारा उसके बाद घटना जाकर पड़ौस की ताराबाई को बतायी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बैहर में करवाया था। पुलिस ने उसकी

निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी और उसके कथन लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह बताया है कि आरोपी सब्जी मांगने आया था और उसे धक्का देकर गिरा था और उसके कपड़े खींचने लगा। ऐसा उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखा दिया था और ऐसा उसने अपने पुलिस कथन में भी बता दिया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता कान्हूराम खण्डाते (अ.सा. 4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने दिनांक 22.06.2013 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया मनीषा भौतेकर की रिपोर्ट पर आरोपी राजेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/13 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354 अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-01 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता कपूरचंद बिसेन (अ.सा. 6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने दिनांक 23.06.2013 को प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया मनीषा की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। फरियादिया मनीषा साक्षी ताराबाई, देवरत के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 25.06.2013 को साक्षी प्रवीण चौहान एवं सालिकराम के समक्ष आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा. 3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 22.06.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आरक्षक प्रदीप क्रमांक 1068 के द्वारा आहत मनीषा पति देवरत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाने पर उसने आहत मनीषा के चिकित्सीय परीक्षण में बांयी कलाई पर एक खरौंच एवं बांये हाथ पर एक मुंदा हुई चोट होना पायी थी। आहत की चोटे साधारण प्रकृति की थी जो किसी शस्त्र एवं बोथरी वस्तु से पहुचाई गई थी। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के 04 से 06 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है,

जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन साक्षी देवरत (अ.सा. 2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग 08-10 माह पुरानी है। घटना दिनांक को वह बहुर गया था जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी पत्नी मनीषा ने उसे बताया कि आरोपी घर पर सब्जी मांगने आया, उसने आरोपी को सब्जी दी और आरोपी सब्जी लेकर बाहर गया, घर में कोई नहीं था तो आरोपी फिर से वापस आया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और बुरी नियत से उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा जिससे वह चिल्लाई तथा उसने आरोपी को लकड़ी से सिर में मारा और ताराबाई को घटना के संबंध में बताया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उसने जो मुख्यपरीक्षण में बताया वह पुलिस को भी बताया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी ताराबाई (अ.सा. 5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी किशनटोला कटंगी की 08:30 बजे की है। उसे मनीषाबाई ने बताया कि आरोपी राजेन्द्र उसके घर सब्जी मांगने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ कर हाथ पकड़ने लगा तथा उसके चिल्लाने पर आरोपी राजेन्द्र भाग गया। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादिया मनीषा (अ.सा. 1) एवं साक्षी कपूरचंद बिसेन (अ.सा. 6), डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा. 3), देवरत (अ.सा. 2) ताराबाई (अ.सा. 5) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन से अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि होती है कि आरोपी ने दिनांक 22/06/2013 को दिन के 03:00 बजे ग्राम किशनटोला (कटंगी) थानान्तर्गत बहुर में फरियादिया मनीषा भौतेकर के मकान में जो मानव निवास/सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित

किया एवं फरियादिया मनीषा की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(20) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादिया ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर रंजिशवश झूठे कथन किये हैं, किन्तु आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी को फरियादिया ने रंजिशवंश झूठा फंसाया है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 22/06/2013 को दिन के 03:00 बजे ग्राम किशनटोला (कंटगी) थानान्तर्गत बैहर में फरियादिया मनीषा भौतेकर के मकान में जो मानव निवास/सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया मनीषा की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(24) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(26) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(27) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(29) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 के आरोप में 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 एवं 354 के आरोप में दी गई 06, 06 (छः—छः) माह के साधारण कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जावे।

(30) आरोपी द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(31) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)